बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजचन्द्र वार्डियार
* अखिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :......49...... दिनांक ...7/9/2012...

सेवा में,

प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार ,पटना।

विषयः– दिनांक 01.01.2009 एवं उसके बाद नियुक्त बि॰प्र॰से॰ के पदाधिकारियों का वित्त विभाग के संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर गलत संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 47वीं एवं 48–52वीं बैच के पदाधिकारियों का सेवा में योगदान की तिथि 01.01.2009 के बाद की है तथा पूर्व में इस बैच के पदाधिकारियों का वेतन पूर्जा PB-2 ग्रेड पे–5400 में वित्त विभाग के संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 की कंडिका–8 के आलोक में schedule-II के अनुरुप निर्गत किया गया था (निर्गत वेतन पूर्जा की छायाप्रति संलग्न)।

पुनः इन सभी बैच के पदाधिकारियों को संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें इनका वेतन PB-2 के मूल प्रक्रम 9300 के साथ ग्रेड पे 5400 जोड़कर निर्गत किया जा रहा है जो कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या–630 दिनांक–21.01.2010 की कंडिका–8 में वर्णित प्रक्रिया के विरुद्ध है(निर्गत वेतन पूर्जा की छायाप्रति संलग्न)। संकल्प की कंडिका–8 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी जो दिनांक 01.01.2006 एवं उसके बाद सेवा में नियुक्त होते हैं, उनके वेतन का निर्धारण उक्त संकल्प की schedule-II में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी। यह schedule-II षष्ठम केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा विनिर्मित एवं केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत अनुसूची के आधार पर ही है।

इस संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–7101 दिनांक–01.08.2011 की कंडिका 2(II) में संकल्प संख्या–630 दिनांक– 21.01.2010 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए को 31.12.2008 के पश्चात् लागू नहीं बताया जाना अनुचित एवं arbitrary है।

ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार में भी 01.09.2008 एवं उसके बाद के नियुक्त केन्द्रीय कर्मियों का वेतन निर्धारण भारत सरकार के राजपत्र संख्या–470 दिनांक–29.08.2008 की कंडिका–8 के अनुरुप Part A के First Schedule के Section-II के आलोक में किया गया है, जो राज्य सरकार की schedule-II के सदृश्य है (केन्द्र सरकार के 25.07.2011 को नियुक्त सहायक की नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण आदेश की छायाप्रति संलग्न) ।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि संशोधित वेतन पूर्जा निर्गत करने में अपनाई जा रही इस गलत प्रक्रिया को तुरत रोकने का आदेश दिया जाय तथा उपरवर्णित त्रुटियों को अविलम्ब दूर करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
सुशीलकुमार 7/9/12
महासचिव